न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह राजपूत
निवासी चिताई तह. परबतसर

तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व रिकार्ड दुरूस्त
उपस्थित :– श्री जगदीशसिंह अधिवक्ता वादी
श्री जगराम मीणा राजपैरोकार

मुकदमां नम्बर :– 2020/00101 दिनांक :– 27.10.2021

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवता श्री जगदीशसिंह ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 337, 359 स्थित है जिसमें वादी का नाम गलती से गलत नाम अंकित हो गया है, राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमसिंह पुत्र प्रभूसिंह दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह होना चाहिए था। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 377, 359 भूमि में दर्ज प्रेमसिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का तामील अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ है तत्पश्चात पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प चिताई में नियत की जाकर उभय पक्षों को सूचित किया गया। दिनांक 27.10.2021 को शिविर में प्रतिवादी ने जबाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 359, 377 में दर्ज प्रेमसिंह पुत्र प्रभुसिंह के स्थान पर मुकेशसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जाना उचित है। जिसके बाद वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर प्रकरण निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। शिविर में उपस्थित ग्राम के मैजीज व्यक्तियों से जानकारी की गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानो एवं बहस पर मनन किया गया।

4. वादी ने वाद के साथ ग्राम चिताई की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 359 रकबा 1.58 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम प्रेमसिंह पुत्र प्रभूसिंह 1/15 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 377 रकबा 8.26 हैक्टयर भूमि में प्रेमसिंह पुत्र प्रभूसिंह 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। आधार कार्ड की प्रति पेश की है जिसमें मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह दर्ज है, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश की है जिसमें मुकेशसिंह पुत्र प्रभुसिंह , बैंक खाता पासबुक की प्रति पेश की है जिसमें मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी जोब कार्ड की प्रति पेश की है जिसमें भी मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह दर्ज रिर्काड है समर्थन में वादी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया है तथा प्रतिवादी राजपैरोकार ने भी स्वीकार किया है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है। शिविर में उपस्थित ग्राम के मौजजी व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया है कि वादी का सही नाम मुकेशसिंह है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 377, 359 की भूमि में दर्ज प्रेमसिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर मुकेशसिंह पुत्र प्रभूसिंह दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को शिविर में मजमें आम सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर